न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 07/2024

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. गौतम चंद जैन पुत्र चम्पालाल जैन जाति जैन निवासी हमीरपुरा, बाडमेर तह. व जिला बाडमेर (मैसर्स महावीर सैलस कॉरपोरेशन, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का विक्रेता व मालिक)
2. राधा देवी पत्नी आसकरण उपाध्याय निवासी प्लॉट नं. 05 के.एन. 177/33/3 भादरवा बेरा, माता का थान, पुंजला, जोधपुर (मैसर्स रिद्धि –सिद्धि ट्रेडर्स, 12 वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर की मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii), 26(2)(v) तथा 27(3)(d)
सहपठित धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित तथा अप्रार्थी सं.02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii), 26(2)(v) तथा 27(3)(d) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स महावीर सैलस कॉरपोरेशन, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **09.05.20**[illegible] 3 गत्ता कार्टूनों में भरा हुआ खाद्य पदार्थ **घी (Purever)** Cow's Ghee [illegible] के शक पर नियमानुसार 1–1 लीटर वास्ते 04 [illegible] सीलड [illegible] में नमूना क्रय [illegible] कर नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

संख्या **पी–2000** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (Purever) Cow's Ghee** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी** (Purever) Cow's Ghee का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **26.05.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूंना **अवमानक** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Saponification value** का मानक स्तर 205.0 to 235.0 के मुकाबले 265.37 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं होने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/उजर प्रकट नहीं किया। इस न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। अप्रार्थी को सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब का समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना इस जुर्म [illegible] है। लिहाजा अप्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii), 26(2)(v) तथा 27(3)(d) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर **रूपये 1,00,000/–** व अप्रार्थी संख्या 2 पर **रूपये 1,00,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:12:31 IST
Reason: SelfAttested